

नौवीं अनुसूची
[धारा 69(1) देखिए]

क्रम सं०	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	प्रभावी अवधि	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	सा०का०नि० 679(अ), तारीख 25 अगस्त, 2003 [69/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 अगस्त, 2003]	स्तंभ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की शर्त (इ) और शर्त (ई) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।	25 अगस्त, 2003 से 31 मार्च 2006 (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) जहां तक वह स्तंभ (3) में निर्दिष्ट शर्त (इ) और शर्त (ई) में निर्दिष्ट विनिधान की अवधि से संबंधित है।	5
2.	सा०का०नि० 60 (अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 [8/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जनवरी, 2004]	स्तंभ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की शर्त (इ) और शर्त (ई) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।	21 जनवरी, 2004 से 30 सितम्बर, 2006 (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) जहां तक वह स्तंभ (3) में निर्दिष्ट शर्त (इ) और शर्त (ई) में निर्दिष्ट विनिधान की अवधि से संबंधित है।	10
3.	सा०का०नि० 60 (अ), तारीख 21 जनवरी, 2004, सा०का०नि० 419 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा यथासंशोधित [28/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004]	स्तंभ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की निलंबलेख खाते से विनिधान की अवधि से संबंधित शर्त (इ) और शर्त (ई) में, “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “चार वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।	9 जुलाई, 2004 से 31 मई, 2011 (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) जहां तक वह स्तंभ (3) में निर्दिष्ट शर्त (इ) और शर्त (ई) में निलंबलेख खाते से विनिधान की अवधि से संबंधित है।	15